न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 13/2021

बउनवान

रहीमुद्दीन आयु 60 वर्ष पुत्र अकबर खां, जाति मुसलमान, निवासी गूगल हेडी, तहसील बारां, जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 09.09.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 13.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम गूगल हेडी तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 142/168, 112/170 रकबा 0.30 है., किस्म—नाला पर अतिक्रमी मानकर 150/—रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। आराजी खसरा नंबर 143 एवं 168/195, 142/168 अपीलांट के खाते की आराजी है जिस पर अपीलांट काबिज काश्त है, तथा उसी से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 142/168, 112/170 स्थित है जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है, जबकि अपीलांट का कब्जा सरकारी कुछ भूमि पर ही है, जिसका जुर्माना भी अपीलांट ने प्रतिवर्ष अदा किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने बिना मौका देखे तथा अन्य पडोसी की शहादत लिये बिना हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट अपनी निजी खाते की आराजी पर अपने पूर्वजो के समय से ही निरन्तर काबिज काश्त है, यदि अपीलांट अपने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर उपरोक्त आराजी 0.30 है. पर अतिक्रमी माना जावे तो भी अपीलांट अपने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर उपरोक्त आराजी को अपने नाम नियमन करवाने एवं खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2020 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खाते की से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 142/168, 112/170 स्थित है, जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया गया है, जबकि अपीलांट का कब्जा सरकारी कुछ भूमि पर ही है। अपीलांट को बिना मौका देखे तथा अन्य पडोसी की शहादत लिये बिना हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। जबकि अपीलांट उक्त आराजी पर निरंतर काबिज काश्त रहकर आरोपित जुर्माना जमा करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2020 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, तथा अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान एवं अपीलांट के अपील में किये गये अभिवचन से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 769/2020 निर्णय दिनांक 16.03.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में स्वंय स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसका जुर्माना भी अपीलांट प्रतिवर्ष जमा कराता रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 769/2020 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2020 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान एवं अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों से भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विंवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 659/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.09[illegible] को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:44 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां